प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2023/86290/AMR/AMROHA/714/CFO

दिनांक: 16-06-2023

ब्लॉक / टावर

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स DELHI IDEAL PUBLIC SCHOOL पता VILLAGE MALI KHERA URF SHAHBAZPUR,PS DIDAULI JOYA TO BAMBOOGARH ROAD AMROHA,AMROHA तहसील - AMROHA प्लाट एरिया 8177.63 sq.mt (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया 2854.52 (वर्ग मीटर), ब्लाकों की संख्या - 1 जिसमे -

पत्येक ब्लाक में तलों की संख्या

- KILLY GLAN	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	1111011	07-114
DELHI IDEAL PUBLIC SCHOOL	2	0	7.14 mt.
है। भवन का अधिभोग मेसर्स DELHI IDEAL PUBLIC SCHOOL द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं			
अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी व्यवस्थाओं			
का निरीक्षण अग्निशमन अधिकारी द्वारा दिनांक 20-06-2023 को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि श्री MOHMMAD ALI के			
साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाएं मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः प्रश्नगत भवन को अग्नि सुरक्षा			
प्रमाणपत्र (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी Educational के अन्तर्गत वैधता तिथि 21-06-2023 से 20-			
06-2026 तक 3 वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन व्यवस्थाओं का			
अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन व्यवस्थाओं में पायी गयी कमी के कारण किसी भी			
घटना के लिए मेसर्स DELHI IDEAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र			
का नवीनीकरण निर्धारित समयाविध के अन्दर न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके			
लिए मेसर्स DELHI IDEAL PUBLIC SCHOOL अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।			

Note: 1. अग्निशमन अधिकारी की संस्तुति सिहत आख्या तथा शासनादेश संख्या 187/छः-पु0-08-2022/905(34) 2016 दिनांक 07.01.2022 में निहित शर्तों के अनुसार निर्गत 2. प्रश्नगत भवन के स्थायित्व व विद्युत सुरक्षा हेतु सम्बंधित विभाग से प्रमाण पत्र लिया जाना वांछनीय है।

<u>"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत</u>

<u>प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"</u>



बेसमेन्ट की संख्या

निर्गत किये जाने का दिनांक: 21-06-2023

स्थान : AMROHA

(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)

ANIL KUMAR SINGH

FDCD237394D8AC9C11B0AC3847DA0B6EAAC2D64A

21-06-2023

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.